

आदेश

निम्नलिखित प्रयोगशाला सहायकों को उनके नामों के सम्मुख अंकित परीक्षा/प्रशिक्षण में स्वयंपाठी छात्र के रूप में बैठने की अनुमति/अनापत्ति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

क. स.	कर्मचारी का नाम एवं पद	पदस्थापन जिला	आयोग/संस्थान का नाम	परीक्षा का नाम
1.	मनोज कुमार वर्मा, प्रयोगशाला सहायक	भीलवाडा	राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड जयपुर	लैब टेक्नीशियन भर्ती 2016 में शामिल होने एवं SR. TEACHER COMP.Exam(history & english)-2016 एवं M.SC. Exam-2017 हेतु अनुमति
2.	श्री सौरभ पुरोहित, प्रयोगशाला सहायक	बीकानेर	वर्धमान खुला विश्वविद्यालय, कोटा	Bachelor of Science Preparatory Programme Session January, 2017
3.	श्री अब्दुल सरफराज, प्रयोगशाला सहायक	कोटा	इग्नू	P.G Diploma FSQM Session June, 2017
4.	सुरेश कुमार रावत, प्रयोगशाला सहायक	सवाईमाधोपुर	राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड जयपुर	लैब टेक्नीशियन भर्ती 2016 में शामिल होने हेतु अनुमति

शर्तें निम्न प्रकार हैं:-

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हों तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जावेगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तित/ स्थानान्तरण हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जावेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग-अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जावेगी उन्हें परीक्षा दिवस के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी कर्मचारी को किसी संस्था विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्यसंपादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जावेगी।
8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणों से लोकहित/राज्य हित में स्वीकृति/अनुमति बिना कोई सूचना के निरस्त की जा सकती है।
11. राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का वित्तीय भार वहन नहीं किया जायेगा।
12. अर्जित योग्यता के आधार पर विभाग किसी प्रकार का लाभ का पद देने हेतु बाध्य नहीं होगा।
13. यदि इनका चयन उक्त पद पर हो जाता है तो विभाग में इनका लियन नहीं रहेगा।
14. इन्हें केवल परीक्षा/साक्षात्कार दिवस का ही अवकाश स्वीकृत किया जायेगा।
15. राज्य सेवा में कोई व्यवधान ना हो।


नोट:-उक्त कर्मियों में यदि कोई संविदा/समेकित वेतन पर कार्यरत है तो उनके मामले में यह आदेश लागू नहीं होगा।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- ई-33/प्रयो0सहा0/(07)/2017/251
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक 25-7-17

1. संबंधित प्रधानाचार्य/अधीक्षक, चिकित्सालय।
2. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
3. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
4. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
5. संबंधित, प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी/प्रा0स्वा0 केन्द्र।
6. प्रभारी, सर्वर रूम, क.नं. 302, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।
7. संबंधित कर्मचारियों को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
8. आदेश पत्रावली।



अतिरिक्त निदेशक (प्रशा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान, जयपुर